

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shoelastamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding Corporation of India Ltd. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.



आचार्य श्री अशोक शर्मा

001333263



अजीत कुमार



For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorized Signatory

मालियत -5,89,000/- रु०

स्टाम्प- 41,500/- रु०

ई- स्टाम्प प्रमाण पत्र- में -IN-UP40509587498309X

दिनांक - 16/07/2025

दर- 44,00,000/- प्रति हे० (आबादी के निकट)

सुनील कुमार

अमित कुमार

सिंघारानी

मनमोहन

अजीत कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorized Signatory



Joint Developers Agreement

यह Joint Developers Agreement 16 / 07 /2025 को किया गया है और 16 / 07 /2025 प्रभावी है, इनके द्वारा और इनके बीच:

प्रथम पक्ष

—

द्वितीयपक्ष

श्री सुनील कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद,
श्री अनिल कुमार पुत्र गोविन्द प्रसाद,
श्री मती सियारानी पत्नी स्व० सुशील कुमार,
श्री अस्मित वर्मा पुत्र सुशील कुमार,
श्री अजीत कुमार पुत्र स्व० सुशील कुमार निवासी

निवासी - बेली खुर्द, सठावारा, लखनऊ, 227125

मे० अग्रशील इन्फ्राटेक प्र० लि०

पता: 910, 9th फ्लोर, मर्केटाइल हाउस, के. जी. मार्ग,
कानौत प्लेस, सेन्ट्रल डेल्ही, न्यू डेल्ही- 110001

अधिकृत हस्ताक्षर: श्री समरेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र चंद्रभान
प्रताप सिंह, ग्राम- 6/18, राम बिहार शिवाजीपुरम,
विक्रमादित्य स्कूल के सामने, सेक्टर 11, इंद्रा नगर, लखनऊ-
226016

- 1- द्वितीय पक्ष विकास एवं निर्माण कार्य में दक्ष है एवं विभिन्न आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं का कार्य कर रही है। उपरोक्त दक्षता को ध्यान में रखते हुए प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को विकास कार्य, क्रय – विक्रय, प्रकाशन, प्रचार प्रसार, प्राधिकरण एवं अन्य संगठनों से अनुमोदन की कार्यवाही इत्यादि का अधिकार अनुसूची ए में दिए गये भूमि पर दिया जा रहा है।
- 2- द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को सभी सदस्यों को सम्मिलित रूप से उनके भूमि के प्रतिफल शेयर के रूप में श्री सुनील कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री मती सियारानी, श्री अस्मित वर्मा व श्री अजीत कुमार को 0.03345 हे० विकसित भूमि परियोजना के प्रथम /द्वितीय चरण में आवंटित किये जायेंगे।
- 3- प्रथम पक्ष इस समझौते के तहत विकास के उद्देश्य से विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि चिन्हित करने के लिए अनुसूची 'ए' संपत्ति के अनुसार भूमि का भौतिक कब्जा दूसरे पक्ष को सौंप देगा। यह समझौता परियोजना के पूर्ण होने तक खण्डित नहीं किया जा सकेगा।
- 4- प्रथम पक्ष प्रतिफल के रूप में विकसित क्षेत्र के अतिरिक्त किसी भी राशि का दावा नहीं करेगा और बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार करेगा।
- 5- दूसरा पक्ष इस समझौते की शर्तों के अनुसार सीमाओं को बदलने, विकास करने और परियोजना क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन करने में सक्षम होगा।
- 6- प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को भूमि के योगदान के बदले में, द्वितीय पक्ष इस परियोजना के तहत न्यायसंगत तरीके से वर्ग मीटर मापने वाले विकसित भूखंड प्रदान करेगा, अर्थात् हिस्सेदारी का वितरण/आवंटन संख्या के अनुरूप क्षेत्र का विकास किया जाएगा। आनुपातिक हिस्सेदारी का कब्जा संबंधित चरण की सीसी (पूर्णता प्रमाण पत्र)/ओसी (अधिकृत प्रमाण पत्र) प्राप्त होने के 15 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

सुनील कुमार
अनिल कुमार

सियारानी

समरेन्द्र प्रताप सिंह
अधिकृत हस्ताक्षर

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Spst
Authorised Signatory



- 7- प्रथम पक्ष एतद्वारा घोषणा करता है और दूसरे पक्ष को आश्वस्त करता है कि आज की तारीख में अनुसूची 'ए' संपत्ति पर कोई बाधा, पूर्व समझौते, संयुक्त परिवार के हित, पट्टे/लाइसेंस, ऋण, शुल्क या कुर्की नहीं है और उनके पास है। यदि कोई तीसरे पक्ष का दावा है, तो पहला पक्ष अकेले ही अपनी लागत पर इसे निपटाने के लिए उत्तरदायी होगा और यदि वे उचित समय के भीतर इसे निपटाने में विफल रहते हैं, तो दूसरा पक्ष, बिना बाध्य हुए, ऐसे दावों को निपटाने का हकदार होगा। ऐसी शर्तों पर जिन्हें दूसरा पक्ष उचित और समीचीन समझे और पहले पक्ष की कीमत पर, जो पहले पक्ष पर बाध्यकारी होगा। पहली पार्टी अकेले ही अनुसूची 'ए' संपत्ति के संबंध में सभी जानकारी और दस्तावेज प्रस्तुत करने और शीर्षक की जांच या सीमाओं के सीमांकन आदि के लिए आवश्यक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्तरदायी होगी। भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में, प्रथम पक्ष आगे यह वचन देता है कि शीर्षक या किसी तीसरे पक्ष के दावे या संस्था के दावे, बैंक के दावे या किसी अन्य दावे या किसी पूर्व समझौते में दोष, यदि कोई हो, के लिए वह अकेला जिम्मेदार होगा। यदि कोई हो, तो तीसरे पक्ष द्वारा और उनके दावों या किसी मुकदमे की भरपाई भी की जाएगी यह उसकी अपनी लागत के बराबर होगा और दूसरा पक्ष इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 8- प्रथम पक्ष इसके द्वारा इस भूमि/परिसर की, दूसरे पक्ष को परियोजना के विकास के उद्देश्य से भौतिक सर्वेक्षण करने की अनुमति देता है
- 9- इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रथम पक्ष के पास अनुसूची 'ए' संपत्ति के शीर्षक को बेचने/बदलने का कोई अधिकार नहीं है।
- 10- दूसरा पक्ष अनुसूची 'ए' संपत्ति के साथ परियोजना विकसित करने के उद्देश्य से किसी भी अन्य व्यक्ति से यदि कोई अतिरिक्त भूमि परियोजना में शामिल की जाती है तो उसका अलग से अनुबन्ध पत्र पंजीकृत कराया जायेगा।
- 11- दूसरा पक्ष किसी भी अन्य भूमि के साथ अनुसूची 'ए' संपत्ति विकसित करेगा (इस समझौते के हिस्से के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से) और इसे नियोजित विकास के लिए उपयुक्त तरीके से पुनर्गठित और नया आकार दिया जा सकता है।
- 12- प्रथम पक्ष इस बात से सहमत है कि दूसरे पक्ष के पास परियोजना के सह-डेवलपर्स के रूप में अन्य कंपनी/कंपनियों को शामिल करने का विशेष अधिकार है और उनके साथ अलग समझौता करने का अधिकार है।
- 13- दूसरा पक्ष विकास कार्य हेतु (अनुसूची ए एवं अन्य भूमि) किसी भी अनुमति, अनुदान, सेवा कनेक्शन आदि के लिए सरकार, राज्य, केंद्र या स्थानीय या अन्य प्राधिकरणों/संगठनों से संपर्क करने के लिए अधिकृत है।
- 14- भूमि प्रत्येक मूल भूखंड से विनियोजित की जाएगी और लागू भवन उपनियमों के मानदंडों के अनुसार विकास के विभिन्न घटकों को विकसित करने के लिए उपयोग की जाएगी, बशर्ते कि आंतरिक और बाह्य रूप से विकसित पुनर्गठित भूखंडों के रूप में प्रथम पक्ष का न्यूनतम हिस्सा उसकी मूल भूमि/प्लॉट क्षेत्र का बिन्दू - 2 में दिए गये प्रतिफल के अनुसार विकसित भूखंड होगा। योजना के तहत विकसित भूखंड, यथासंभव सीमा तक, भू-स्वामियों को उसी योजना में आवंटित किए जा सकते हैं, जिसके लिए भू-स्वामी ने अपनी भूमि एकत्रित की है।
- 15- लेआउट योजना अनुसूची बी के अनुसार सजरा योजना पर अधिरोपित की जाएगी।
- 16- प्रथम पक्ष उन्हें आवंटित/आवंटित किये जाने वाले पुनर्गठित भूखंडों के बदले किसी भी विकास शुल्क या अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- 17- द्वितीय पक्ष परियोजना का RERA पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि और 6 महीने की अतिरिक्त छूट अवधि के भीतर परियोजना के विकास कार्यों को पूरा करेगा। परियोजना अवधि में विस्तार, मानदंडों और/या पार्टियों के बीच आपसी समझौते के अनुसार होगा, अप्रत्याशित घटना की स्थिति में अवधि को अप्रत्याशित घटना की स्थिति जारी रहने तक बढ़ाया जाएगा। "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ सीधे निम्नलिखित घटनाओं या स्थितियों में से कोई है, किसी पार्टी द्वारा उसके किसी भी प्रदर्शन को अप्रत्यक्ष रूप से बाधित करना, सीमित करना/असंभव बनाना इस समझौते के तहत दायित्व, जिनमें दैवीय कृत्य, युद्ध शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं (घोषित और अघोषित), आतंकवादी हमले,

सुनील कुमार अमित उमा

सियारानी

Accountant

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorised Signatory



दंगे, नागरिक अशांति, हड़ताल, आग, भूकंप, विस्फोट, बाढ़, तोड़फोड़ या पार्टी के नियंत्रण से परे कोई अन्य घटना (प्रत्येक "अप्रत्याशित घटना") अनुबंध के तहत जिसे उसके दायित्वों के प्रदर्शन से रोका गया है।

- 18- विकसित भूमि का लागत मूल्यांकन दूसरे पक्ष द्वारा मौजूदा लागत दिशानिर्देशों (समय-समय पर संशोधित) के आधार पर किया जाएगा। विकसित भूखंडों के लिए आवंटन दर भी, जैसा लागू हो, द्वितीय पक्ष द्वारा तय की जाएगी। पुनर्गठित भूखंडों का 'अंतर मूल्य निर्धारण' द्वितीय पक्ष द्वारा बनाई गई नीति के अनुसार किया जाएगा।
- 19- दूसरा पक्ष अपने हिस्से की भूमि का उपयोग भविष्य में वाणिज्यिक, मिश्रित उपयोग, समूह आवास और अन्य के लिए कर सकता है ताकि बुनियादी ढांचे के विकास की लागत और सार्वजनिक सुविधाओं के लिए क्रॉस-सब्सिडी को सक्षम किया जा सके।
- 20- पुनर्गठित/विकसित भूखंडों का आवंटन भूमि स्वामियों के पक्ष में निःशुल्क किया जायेगा।
- 21- परियोजना के सभी प्रकार से पूरा होने के बाद, दूसरा पक्ष पुनर्गठित/विकसित भूखंडों की सूचना प्रथम पक्ष को देगा और कब्जा देगा, जो आवंटन पत्र/संवहन विलेख/या दूसरे पक्ष द्वारा तय किए गए किसी अन्य तरीके के तहत प्रथम पक्ष को आवंटित किए गए हैं।
- 22- पुनर्गठित/विकसित भूखंड को सौंपने के बाद, प्रथम पक्ष हस्तांतरण विलेख के लिए दूसरे पक्ष द्वारा बनाए गए प्रचलित नियमों और विनियमों के अनुसार, भूखंडों के अपने हिस्से को हस्तांतरित करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- 23- दूसरा पक्ष अपने हिस्से को तीसरे पक्ष को हस्तांतरण विलेख के लिए विज्ञापन देने और समझौतों में प्रवेश करने, विचार प्राप्त करने, रसीदें जारी करने, आय का विनियोग करने, ऐसे तीसरे पक्ष के खरीदारों को एटीएस/विक्री विलेख/पंजीकरण/अन्य हस्तांतरण निष्पादित करने और प्रस्तुत करने का हकदार होगा और प्रथम पक्ष को इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं होगी। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 24- राजस्व उक्त परियोजना के लिए खोले गए एस्को खाते/रेरा खाते के तहत जमा किया जाएगा और रera अधिनियम के तहत निर्धारित मानदंडों के अनुसार निकाला जाएगा।
- 25- यदि दूसरा पक्ष किसी वित्तीय संस्थान से परियोजना के लिए ऋण लेता है तो पहला पक्ष ऋण लेने के लिए भूमि के अपने हिस्से के स्वामित्व के कागजात भी प्रदान करेगा और दूसरा पक्ष किसी भी दायित्व के खिलाफ पहले पक्ष को क्षतिपूर्ति देगा जो ऋण संबंध में उत्पन्न हो सकती है।
- 26- शेयर का आवंटन परियोजना के विकास के लिए निर्धारित विभिन्न चरणों के अनुसार किया जाएगा।
- 27- दूसरा पक्ष निर्माण एवं विकास और/समग्र प्रबंधन के लिए बाहरी ठेकेदार/उप-ठेकेदार/एजेंसियों/सह-विकासकर्ता नियुक्त कर सकता है।
- 28- लाइसेंसिंग एवं बिल्डिंग प्लान का अनुमोदन समेत सभी मंजूरी और (इन्हीं तक सीमित नहीं होगी) दूसरे पक्ष की जिम्मेदारी होगी।
- 29- दूसरा पक्ष पहले पक्ष के अधिकारों में बाधा डाले बिना, परियोजना का विकास और/या समग्र प्रबंधन के लिए, जेडीए, कंसोर्टियम समझौता, सहयोग समझौता, एमओयू इत्यादि जैसे अन्य समझौतों में प्रवेश कर सकता है, जो उसे निर्माण और निर्माण के उद्देश्य के लिए उपयुक्त लगता है। इसके अलावा, दूसरे पक्ष को इस समझौते के तहत अपने अधिकारों को उक्त उद्देश्य के लिए तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का अधिकार है। दूसरे पक्ष को प्रथम पक्ष की ओर से ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का अधिकार होगा।
- 30- प्रथम पक्ष अपनी सहमति देता है कि दूसरा पक्ष परियोजना के निर्माण, विकास, समग्र प्रबंधन, परियोजना की ब्रांडिंग इत्यादि के लिए किसी सलाहकार को नियुक्त कर सकता है। दूसरा पक्ष सक्षम प्राधिकारियों से एनओसी और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- 31- दूसरे पक्ष को परियोजना में परिसर की विक्री के संबंध में नियामक निकायों, सोसायटी, रजिस्ट्रार और किसी अन्य तीसरे पक्ष के समक्ष प्रतिनिधित्व करने और परिसर की विक्री के लिए आवश्यक या प्रासंगिक सभी कार्य करने का अधिकार होगा।

सुनील कुमार

अनिल कुमार

सिंघारानी

अनिल कुमार

अनिल कुमार

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Sp. 1
Authorised Signatory



- 32- यदि दोनों पक्ष, यहां निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो ऐसी असहमति के समय प्रचलित दर पर एसबीआई एमसीएलआर + 1% ब्याज राशि का भुगतान करने के लिए दोनों पक्ष उत्तरदायी होंगे या जो भी व्यावसायिक नुकसान (जो भी ज्यादा हो) के भुगतान के लिए दोनों पक्ष उत्तरदायित्व होंगे।
- 33- दूसरे पक्ष को एलडीए/संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित की जाने वाली योजनाओं के अनुसार और एलडीए/संबंधित अधिकारियों द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों के अनुसार विकास भूमि पर परियोजना में भवन विकसित करने और निर्माण करने का अधिकार होगा।
- 34- दूसरे पक्ष को सभी प्रकार से परियोजना का प्रबंधन, नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने और उसके भौतिक कब्जे और उक्त समझौते के अनुसार अन्य दायित्वों का अधिकार होगा।
- 35- दूसरे पक्ष को संबंधित अधिकारियों, बिजली बोर्ड या किसी अन्य बिजली आपूर्ति कंपनी और अन्य संबंधित अधिकारियों को उनके उपनियमों, नियमों और विनियमों और विशिष्टताओं के अनुसार ऐसी योजनाएं, लेआउट, समामेलन, उप प्रस्तुत करने का अधिकार होगा। - विकास भूमि का विभाजन, आरक्षण का स्थानांतरण और उपरोक्त उद्देश्य के लिए सभी आवेदनों, योजनाओं, विशिष्टताओं, कार्यों, दस्तावेजों, लेखों, शपथपत्रों, उपक्रमों, श्रुतिपूर्ति आदि पर हस्ताक्षर करना और निष्पादित करना, जैसा कि अनुमोदन और अनुमोदन के लिए आवश्यक हो सकता है। उक्त लेआउट, समामेलन, उप-विभाजन, योजनाएं और विशिष्टताएं और उनमें संशोधन, संशोधित योजनाएं और/या आईओडी जारी करना और परियोजना के संबंध में प्रारंभ प्रमाण पत्र लेने का अधिकार होगा।
- 36- संशोधन. किसी भी नियम, शर्तों में कोई वृद्धि, परिवर्तन या संशोधन नहीं यहां उल्लिखित प्रावधान इनमें से किसी पर भी वैध, सक्रिय, प्रभावी और बाध्यकारी नहीं होंगे जब तक इसे लिखित रूप में दर्ज नहीं किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाता है।
- 37- इस अनुबन्धपत्र के अनुच्छेद अथवा अनुबन्ध पत्र के बाहर यदि किसी प्रकार का मत भेद। विवाद उत्पन्न होता है तो उसको दोनों पक्ष आपसी विचार-विमर्श से समाधान निकालेंगे। यदि आपसी समझौते से विवाद नहीं सुलझ पाता है तो तृतीय पक्ष की मध्यस्थता से विवाद। मतभेद को सुलझाने का प्रयास करेंगे। तृतीय पक्ष की मध्यस्थता एक्ट 1996 आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के तहत रहेगी। मध्यस्थता की सुनवाई नई दिल्ली या कोर्ट नई दिल्ली जूरिडिक्शन का होना चाहिए।
- 38- शासी कानून. यह समझौता भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्या किया जाएगा और इस समझौते से संबंधित या इससे उत्पन्न होने वाले मामलों के संबंध में नई दिल्ली के न्यायालयों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा।
- 39- Joint Developer Agreement के पंजीकरण के लिए देय स्टाम्प शुल्क द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

प्रथम पक्ष-

1- श्री सुनील कुमार

(आधार संख्या-682911243130)

(पैन संख्या- FAXPK9499D)

पता — बेली खुर्द, मठावारा, लखनऊ, 227125

2- श्री अनिल कुमार

(आधार संख्या-617406356841)

(पैन संख्या- EHZPK7406J)

पता — बेली खुर्द, मठावारा, लखनऊ, 227125

3- श्री मती सियारानी

(आधार संख्या-806281056948)

सुनील कुमार

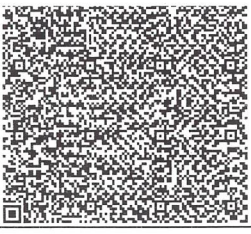
अनिल कुमार

सियारानी

Authorised Signatory

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202500822031797

विक्रय अनुबंध विलेख (बिल्डर)

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23536

वर्ष: 2025

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 41500 बाजारी मूल्य - 589000 पंजीकरण शुल्क - 5890 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 5950

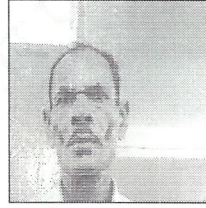
श्री सुनील कुमार,

पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद

व्यवसाय : अन्य

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

सुनील कुमार



ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 16/07/2025 एवं 03:42:25 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ

16/07/2025

अंजय कुमार गौतम

निबंधक लिपिक

16/07/2025



(पैन संख्या-HFBPR0827B)

पता — बेली खुर्द, सठावारा, लखनऊ , 227125

4- श्री अस्मित वर्मा

(आधार संख्या-712639086776)

(पैन संख्या-AYZPV0679H)

पता — बेली खुर्द, सठावारा, लखनऊ , 227125

5- श्री अजीत कुमार

(आधार संख्या-680857878551)

(पैन संख्या-GARPK3575H)

पता — बेली खुर्द, सठावारा, लखनऊ , 227125

चौहद्दी: (खसरा संख्या- 303)

पूर्व	-	भूमि खसरा संख्या- 302 का भाग
पश्चिम	-	भूमि खसरा संख्या- 222 का भाग
उत्तर	-	भूमि खसरा संख्या- 304
दक्षिण	-	भूमि खसरा संख्या- 303 एवं 222 का भाग

अनुसूची (ए)-

ग्राम-बेली, तहसील- मोहन लाल गंज			
क्रम सं०	भूमिधर	खसरा सं०	भूमिक्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	श्री सुनील कुमार	303	0.0446
2	श्री अनिल कुमार	303	0.0446
3	श्री मती सियारानी	303	0.01486
4	श्री अस्मित वर्मा	303	0.01486
5	श्री अजीत कुमार	303	0.01486
			0.1338

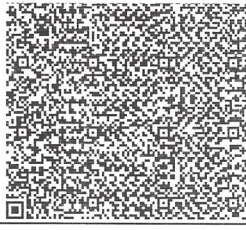
इसके साक्ष्य में, पार्टियों ने यहां और इसके समकक्षों के लिए निर्धारित किया है और निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में अपने-अपने हस्ताक्षर किए ।

सुनील कुमार अनिल कुमार
सियारानी

Agricultural Infrastructure

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorised Signatory



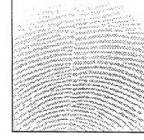
ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अखिलेश कुमार सिंह, पुत्र श्री कृष्ण कुमार सिंह

निवासी: रैबिगो सुल्तानपुर उ०प्र०

व्यवसाय: अन्य



पहचानकर्ता : 2

श्री संदीप कुमार सिंह, पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद

निवासी: 447/57, मिलित नगर के डी ए कालोनी गल्ला मंडी कानपुर

व्यवसाय: अन्य



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

वीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ
16/07/2025

संजय कुमार गौतम
निबंधक लिपिक लखनऊ

16/07/2025

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए हैं।
टिप्पणी :



लखनऊ
दिनांकित:
गवाह :-

1. अखिलेश कुमार सिंह (9953875279)
पुत्र श्री कृष्णा कुमार सिंह, रैबिगो, सुल्तानपुर ऊ०प्र० (228145)

2. संदीप कुमार सिंह (7985241526)
पुत्र राजेंद्र प्रसाद ,447/57, सिल्लत नगर, KDA कॉलोनी, गल्लामंडी, कानपुर, 208021

दिनांक: 16/07 /2025



प्रथम पक्ष/मालिक



सुनील कुमार

श्री सुनील कुमार



अनिल कुमार

श्री अनिल कुमार

सियागानी

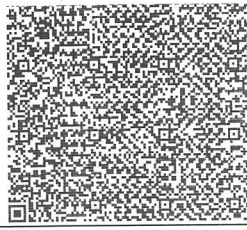
श्री मती सियागानी

मती सियागानी

अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा. लि.

For M/s. Agrasheel Infratech Pvt.Ltd.

Authorised Signatory



आवेदन सं०: 202500822031797

बही सं०: 1

रजिस्ट्रेशन सं०: 23536

वर्ष: 2025

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता: 1

श्री सुनील कुमार, पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

सुनील कुमार



विक्रेता: 2

श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री गोविन्द प्रसाद

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

अनिल कुमार



विक्रेता: 3

श्रीमती सियारानी, पती श्री स्व० सुशील कुमार

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

सियारानी



विक्रेता: 4

श्री अस्मित वर्मा, पुत्र श्री सुशील कुमार

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

अस्मित वर्मा



विक्रेता: 5

श्री अजीत कुमार, पुत्र श्री स्व० सुशील कुमार

निवासी: बेलीखुर्द सठवारा तहसील मोहनलालगंज लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

अजीत कुमार



क्रेता: 1

श्री मेसर्स अग्रशील इन्फ्राटेक प्रा० लि० के द्वारा समरेन्द्र प्रताप सिंह, पुत्र श्री चंद्रभान प्रताप सिंह

निवासी: 6/18 राम विहार शिवाजीपुरम विक्रमादित्य स्कूल के सामने सेक्टर 11 इन्दिरा नगर लखनऊ

व्यवसाय: अन्य

समरेन्द्र प्रताप सिंह



श्री अस्मित वर्मा

श्री अजीत कुमार

दूसरा पक्ष/ डेवलपर

मे० एग्रशील इन्फ्राटेक प्र० लि०
SPT
Authorised Signatory

Drafted by : Rishi Mohan Diwedi Advocate

Mohanlalganj, Lucknow

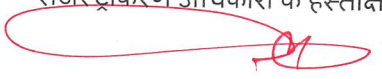
Typed By: M. kumar

lucknow

आवेदन सं०: 202500822031797

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 18622 के पृष्ठ 125 से 140 तक क्रमांक 23536 पर दिनांक 16/07/2025 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर



वीरेन्द्र कुमार वर्मा प्रभारी

उप निबंधक : मोहनलालगंज

लखनऊ

16/07/2025

